

P1. Cut Stencil ✓

3/8
16

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:- प० 15४३३५ वन/१८

जयपुर, दिनांक:-

16 SEP 2005

-: अधिसूचना :-

राजस्थान वन और उत्तरवाहन के नियम, 1957 के नियम-
2 के परन्तुक के बधीन इत्तल शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य
सरकार अधिसूचना क्रमांक प० २४।५ १२४ राजस्व-८/७३ दिनांक १९०१०९।
में निम्न संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में निम्न परन्तुक जोड़ा जाता है:-

यह कि उक्त छूट के अतिरिक्त राजस्थान राज्य के भीतर के
गन्तव्य स्थानों के लिए पोषलर ब्रजाति के क्षाँों की लकड़ी १ टिम्बर
के परिवहन को इस अधिसूचना द्वारा छूट ब्रदान करती है एवं यह छूट
श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में लागू नहीं होगी।

राज्यपाल के बादेश से,

शासन सचिव २.१.०५

प्रतिलिपि: निम्न को सुनार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु देंगित है:-

1. गृह बायुक, राजस्थान जयपुर।
- ✓ 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
3. पुनिस महानिदेशाक, राजस्थान जयपुर।
4. शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक गण।
7. समस्त प्रणल वन अधिकारी/उपवन संरक्षक / उप मुख्य बन्य जोब
प्रतिपालक / क्षेत्र निदेशाक, सरिस्का, रणथम्भोर, सबाईमाधोपुर।

१०२८८
विशेष शासन सचिव

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक:- पा० १५४३३४ वन/९८

जयपुर, दिनांक:-

-: अधिसूचना :-

राजस्थान वन औ उष्ण वर्षीय वनों का उपयोग करते हुए राज्य 2 के बरन्तुक के अधीन प्रत्येक शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार अधिसूचना क्रमांक पा० २४।४।२४ राजस्व-८/७३ दिनांक १९.१०.१९१ में निम्न संशोधन करती है, अभावित :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में निम्न परन्तुक जोड़ा जाता है:-

यह कि उक्त छूट के अतिरिक्त राजस्थान राज्य के भीतर के गन्तव्य स्थानों के लिए बोगलर उत्पाति के क्षेत्रों की लकड़ी और टिम्बर के परिवहन को इस अधिसूचना द्वारा छूट उदान करती है एवं यह छूट श्रो गंगानगर एवं हनुमा क़गड़ जिलों में लागू नहीं होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

शासन सचिव २.१.९५

इतिलिखि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु देंगित है:-

- १० गृह आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
- २० प्रधान मंत्री वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
- ३० पुलिस महानिदेशाक, राजस्थान जयपुर।
- ४० शासन सचिव, राजस्व विभाग।
- ५० समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- ६० समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक गण।
- ७० समस्त मण्डल वन अधिकारी/उष्णबन संरक्षक / उष्ण मुख्य उत्तिष्ठालक / क्षेत्र निदेशाक, सरिस्का, रणथम्भोर, सर

१०/८७९